फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री लक्ष्मण पुत्र श्री सोमाराम निवासी मु.पो. नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 37 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
23.03.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को एक आवेदन दिनांक 27.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपखण्ड कार्यालय पिण्डवाडा के पत्रांकःन्याय/2022/159 दिनांक 27.01.2021 तथा प्रतिलिपि क्रमांकःन्याय/2022/160–163 दिनांक 27.10.2021 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त से सम्बन्धित समस्त आदेशिका व छायाप्रति मय प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को एक आवेदन दिनांक 27.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपखण्ड कार्यालय पिण्डवाडा के पत्रांकः न्याय/2022/159 दिनांक 27.01.2021 तथा प्रतिलिपि क्रमांकः न्याय/2022/160–163 दिनांक 27.10.2021 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त से सम्बन्धित समस्त आदेशिका व छायाप्रति मय प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	